निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः C-51 / बा0वि0परि0 / योजना–117(।।) / 2016–17, दिनांकः 11 अप्रैल, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– **प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं अतिकुपोषित बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए गर्म पका–पकाया भोजन देने की व्यवस्था सम्बन्धी ट्रायल कार्यक्रम के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–20 / 2016 / 831 / 60–2–16–2 / 3(1)11 टी0सी0–।। दिनांकः 31 मार्च, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं 07 माह से 03 वर्ष आयु के अतिकुपोषित बच्चों (लाल श्रेणी) को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रति दिन गर्म पका–पकाया भोजन तथा 03 से 06 वर्ष आयु के अतिकुपोषित बच्चों (लाल श्रेणी) को सांयकाल घर पर ग्रहण करने हेतु स्नैक्स व मौसमी फल देने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पका–पकाया भोजन देने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

अभीष्ट फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल हेतु गर्भवती महिलाओं हेतु रू0 18/– प्रति महिला प्रति दिन एवं अतिकुपोषित बच्चों हेतु रू0 7/– प्रति बच्चा प्रतिदिन भोजन की दर के आधार पर वांछित धनराशि कार्यालय महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–09 / रा0पो0मि0 / 2016–17, दिनांकः 06 अप्रैल, 2016 द्वारा सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित की गयी है।

ट्रायल कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु श्रीमती आरूति यादव, अपर परियोजना प्रबन्धक, मुख्यालय को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। फीडिंग कार्यक्रम के ट्रायल के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी नोडल अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

अतएव शासनादेश में वर्णित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए फीडिंग कार्यक्रम का ट्रायल करायें और निर्धारित प्रारूप पर फीडबैक दिनांकः 05 मई, 2016 तक ई0मेल आई0डी0 yojanaicds@gmail.com पर उपलब्ध करायें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

D:\nitin\letter 2016.doc